संख्या-247/2023/1537/23-10099(099)/79/2022

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक 28 दिसम्बर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद आगरा में खेरिया एयरपोर्ट से मॉल रोड (अवन्ती बाई चौराहे तक) के किमी0-1 में स्थित रेल उपरिगामी सेतु की मरम्मत, रिहैबिलिटेशन कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता(सेतु विंग), लो0नि0वि0, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1679/राजस्व मद(पक्का सेतु)/अनुरक्षण/सेतु-6/23-24 दिनांक 27.10.2023, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद आगरा में खेरिया एयरपोर्ट से मॉल रोड (अवन्ती बाई चौराहे तक) के किमी0-1 में स्थित रेल उपरिगामी सेतु की मरम्मत, रिहैबिलिटेशन कार्य हेतु लागत रू0 146.72 लाख (रू0 एक करोड़ छियालिस लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक लागत /गठित अनुबन्ध की लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रशासकीय स्वीकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रा0ख0 आगरा	जनपद आगरा में खेरिया एयरपोर्ट से मॉल रोड (अवन्ती बाई चौराहे तक) के किमी0-1 में स्थित रेल उपरिगामी सेतु की मरम्मत, रिहैबिलिटेशन कार्य	10/2023/1604/23 -10-22-108 (सेतु)/22 दिनांक - 10.01.2023	308.46/ 308.46/ 192.03	7.51	300 .95	154.23	146.72	146.72
		योग :-	-----	-----	7.51	300 .95	154.23	146.72	146.72

(रू0 एक करोड़ छियालिस लाख बहत्तर हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/INDA

(2) शासनादेश सं0-133/2023/610/001-610-23-10-23-10(ब0)/2017 दिनांक 21.06.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना (सामान्य) के **अनुदान संख्या-57** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-800-अन्य व्यय-04-पुलों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण के मद में शासनादेश दिनांक 21.06.2023 द्वारा प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

संख्या-247/2023/1537(1)/23-10099(099)/79/2022-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
2- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आगरा ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
9- संबंधित कोषाधिकारी ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA